कार्यालय, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/प्रारं/शिक्षक–संस्थापन/एफ–2/ग्रा.पं.स./संविदा एडॉप्ट/2022 दिनांकः 13.05.22

शासन उप सचिव,
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर ।

विषयः कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांकः प.17(4)डीओपी/ए–2/2014 दिनांक 11.01.2022 से जारी नियमों को एडॉप्ट करने बाबत् ।

प्रसंगः आपका पत्रांक प.19(1) प्रा.शि./ राशिकबो/2021 जयपुर, दिनांकः 15.03.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसंगोक्त पत्र के क्रम में लेख है कि संविदा पर कार्यरत ग्राम पंचायत सहायकों के सबंध में कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.01.2022 से जारी नियमों के अनुसार एडॉप्ट करने बाबत जारी दिशा–निर्देशानुसार समयबद्व आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय तथ्यात्मक वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	पदनाम	चयन के समय ग्राम पंचायत सहायक के स्वीकृत पद	वर्तमान में कार्यरत कार्मिकों की संख्या
01	ग्राम पंचायत सहायक	27231	23749

शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) के परिपत्र दिनांकः 08.11.2016, 27.01.2017 द्वारा ग्राम पंचायत सहायकों के चयन सम्बन्धी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गए।

जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी–प्रथम द्वारा पंचायती राज विभाग के परिपत्र क्रमांकः एफ. 40 एमटीडब्ल्यू/विधि/पंरावि/2016/832 दिनांकः 08.11.2016 के परिशिष्ठ–1 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत को आवंटित ग्राम पंचायत सहायक की संख्या के आधार पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार सूचना/विज्ञप्ति जिला स्तरीय समाचार पत्रों मे दिनांक 09.02.2017 से पूर्व प्रकाशित करवाई गई एवं मई 2017 से अप्रेल 2018 तक ग्राम पंचायत सहायकों का चयन प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर किया गया।

ग्राम पंचायत सहायकों का चयन प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर तीन चरणों में पूर्ण किया गया। ग्राम पंचायत सहायकों का चयन सम्बन्धित ग्राम पंचायत की सभा में किया गया। ग्राम पंचायत सहायकों के चयन हेतु एसडीएमसी की कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित कर साक्षात्कार एवं दस्तावेजों का परीक्षण कर चयन प्रकिया पूर्ण की गई थी। अतः संविदा पर कार्यरत कार्मिक ग्राम पंचायत सहायकों पर राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम–2022 लागू किया जाना उचित होगा।

कार्यरत ग्राम पंचायत सहायकों का वर्गवार संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है–

क्र.सं.	वर्ग	संख्या			प्रतिशत (%)	आरक्षण प्रावधान के अनुसार निर्धारित प्रतिशत(%)
		पुरूष	महिला	कुल		
1.	UR	3177	1060	4236	17.84%	36%
2.	EWS	1943	417	2360	9.94%	10%
3.	OBC	7972	1756	9723	40.94%	21%
4.	SC	3261	407	3668	15.44%	16%
5	ST	2557	326	2883	12.14%	12%
6	MBC	784	95	879	3.70%	05%
	कुल	19694	4061	23749	100.00%	100%

वर्तमान में आयुवर्ग 30–50 वर्ष के अन्तर्गत कार्यरत ग्राम पंचायत सहायकों की वर्गवार संख्या निम्नानुसार है–

Age	Female					Male				
	GEN	OBC	SBC	SC	ST	GEN	OBC	SBC	SC	ST
30	132	191	21	53	60	211	357	52	150	125
31	73	106	8	30	30	173	244	34	100	62
32	53	71	11	14	8	111	147	35	73	87
33	39	67	9	28	17	134	179	27	80	86
34	152	253	15	49	38	301	497	85	212	145
35	70	128	5	26	13	167	276	58	94	97
36	81	121	2	29	18	212	294	75	117	105
37	182	264	11	64	36	491	721	99	260	232
38	129	201	6	63	21	365	576	84	236	128
39	105	154	10	45	26	367	511	69	210	155
40	113	183	16	46	37	337	581	65	244	196
41	81	140	5	41	16	281	363	53	177	145
42	97	148	6	43	20	299	398	55	155	179
43	65	79	1	28	20	199	273	35	162	139
44	56	88	9	14	17	171	301	40	159	145
45	58	61	5	23	11	170	261	41	88	114
46	49	71	1	15	16	129	187	19	87	71
47	34	47	1	16	6	86	142	18	90	57
48	33	28	2	6	6	97	129	10	67	71
49	14	19	1	6	3	55	95	14	40	32
50	20	20	4	8	1	129	138	39	60	37
WD/DV Above Cat Age	19	5	1	2	2	35	41	4	9	14
Total	1655	2445	150	649	422	4520	6711	1011	2870	2422

राजस्थान सिविल पदो पर संविदा पर रखा जाना नियम–2022 के नियम–7 के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक परीक्षा/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण एवं राज्य के सरकारी विद्यालयों/कार्यालयों में कार्य करने का 4 वर्ष का न्यूनतम अनुभव किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान सिविल पदो पर संविदा पर रखा जाना नियम–2022 के नियम–9 के अनुसार "कोई भी व्यक्ति जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान हो तो इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा"।

अप्रशिक्षित ग्राम पंचायत सहायकों की संख्या निम्नानुसार है–

क्र.सं.	ग्राम पंचायत सहायक	संख्या
01.	सैकण्डरी उत्तीर्ण	93
02.	सीनियर/हायर सैकण्डरी उत्तीर्ण	1864
03.	स्नातक	3425
04.	अधिस्नातक	2312
	कुल	7694

प्रशिक्षित ग्राम पंचायत सहायको की संख्या निम्नानुसार है–

क्र.सं.	ग्राम पंचायत सहायक	संख्या
01.	बी.एस.टी.सी./डी.एल.एड. उत्तीर्ण	1936
02.	बी.एड. उत्तीर्ण	14119
	कुल	16055

राजस्थान सिविल पदों पर रखा जाना नियम–2022 के नियम–7 के अनुसार ग्राम पंचायत सहायकों के लिए जॉब चार्ट पीईईओ द्वारा सौंपे गए दायित्व के साथ निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है।

Cl/12

1. ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा के उन्नयन बाबत सौंपे विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत सहायक को आंवटित समस्त कार्य करेगे।
2. पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र मे स्थिति प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयो के मासिक निरीक्षण से संबंधित आंवटित समस्त कार्य करेगे।
3. ग्राम पंचायत स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु आयोजित की जाने वाली समस्त बैठको के आयोजन एवं प्रबंधन से संबंधित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आंवटित समस्त कार्य करेगें।
4. ग्राम पंचायत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चो को प्रारंभिक शिक्षा से जोड़ने के लिए उक्त आयु वर्ग के बच्चो के चिन्हीकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों के निष्पादन से संबंधित पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवटित समस्त कार्य करगे।
5. ग्राम पंचायत में अनामांकित/ड्रॉप आउट बच्चो का चिह्नीकरण करते हुए पंचायत की बैठको/विद्यालयो की विकास समिति/प्राधान समिति की बैठको में पंचायत के नागरिको/अभिभावको को बच्चो की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करवाने के संबंध में पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त कार्य करेगें।
6. ग्राम पंचायत क्षेत्र मे प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार, नामांकन वृद्धि, आधारभूत संरचना विकास आदि के लिए प्रस्ताव तैयार करवाने एवं विद्यालयवार कार्य योजना निर्माण व क्रियान्वयन के संबंध मे पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त कार्य।
7. ग्राम पंचायत मे प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयो के विकास एवं निर्माण मे भामाशाहों/दानदताओ एवं जनप्रतिनिधियो से सम्पर्क एवं सहयोग प्राप्त करने हेतु पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आंवटित समस्त कार्य करेगें।
8. ग्राम पचायत स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयो के नोडल अधिकारी के रूप में कार्य संपादन के संबंध मे पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आंवटित समस्त कार्य।
9. राज्य सरकार/स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो की पालना सुनिश्चित करवाने के संबंध मे पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त कार्य करेगे।
10. प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित ग्राम पंचायत स्तर के विद्यालयो की समस्त प्रकार की सूचनाओ के शाला दर्शन/शाला दर्पण/अन्य पोर्टल पर आदान–प्रदान/अपडेशन/प्रविष्टि के संबंध मे पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आंवटित समस्त कार्य करेगे।
11. ग्राम पंचायत में स्थित सभी राजकीय प्राथमिक एव उच्च प्राथमिक विद्यालयों प्रबंधन समिति एवं अभिभावक–अध्यापक परिषद् की बैठको मे ग्रामीण विकास योजनाओ के बारे में अवगत/जानकारी कराये जाने के संबंध मे पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त कार्य।

3/4

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् के अनुमोदन के आधार पर ग्राम पंचायत सहायकों को ग्राम पचायत मे 6000/–रू0 प्रतिमाह के नियत मानदेय पर पूर्णतः अस्थायी आधार पर एक वर्ष हेतु लगाया गया था। समय–समय पर इनके मानदेय मे वृद्धि की जाती रही है एवं वर्तमान में शासन के पत्रांकः प. 15(2)प्राशि/2020 पार्ट, जयपुर दिनांकः 01.04.2022 से मानदेय में 20 प्रतिशत वृद्धि की गई है जिसके अनुसार इनको वर्तमान मे 7920/–रू0 प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है।

वर्तमान में संविदा पर कार्यरत कार्मिक ग्राम पचायत सहायकों को दिनांकः 01.04.2022 से 7920/–प्रतिमाह मानदेय राशि निर्धारित है। अतः राजस्थान सिविल पदो पर संविदा पर रखा जाना नियम–2022 के

नियम-13 के अनुसार ग्राम पंचायत सहायकों का मानदेय वित्त विभाग द्वारा विद्या संबल योजना हेतु जारी परिपत्र दिनांक 30.03.2021 के अनुसार मासिक मानदेय 21000/- किया जाना प्रस्तावित है।

नोटः- कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांकः 11.01.2022 मे पूर्व से कार्यरत संविदा कार्मिकों के लिए राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम-2022 को एडॉप्ट करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। इस अधिसूचना में राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम-2022 के नियमों की शर्तों को पूरा नहीं करने वाले पूर्व से कार्यरत संविदा कार्मिकों को संविदा कार्य से हटाये जाने के कोई निर्देश नहीं है, लिहाजा पूर्व से संविदा पर कार्यरत समस्त ग्राम पंचायत सहायकों को इन नये नियमों के अन्तर्गत शामिल करने वास्ते राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम-2022 के नियमों की शर्तों में शिथिलन प्रदान करते हुए शामिल किया जाना प्रस्तावित है।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं
पं.राज (प्राशि) विभाग,राजस्थान
बीकानेर

MDSmartClasses.com